77 R.—81

जायद बही नं० 1

जिल्द——बाबत महकमा सब-रजिस्ट्रार——

...त अवलाम्ब ...—यह खाना इस किस्म ...ीदों के लिए भी इस्तेमाल ...कता है जो मामूली किताब ... के खाना कैफियत में लिखे जाते हैं	नम्बर शुमार इन्दराज मुआमले के मालियत और नोटिस और कीमत रजिस्ट्री व दीगर रसूम और तावान वसूल शुदा
मै०... मालियत 1500/- रु० ... स्टाम्प 120/- ... किता 3 Stamp Vendor	प्रतिलिपि सं० 101 पं० शुल्क 15.00 प्र० ना० 2.40 कुल 17.40 ... 850

101/1

305212 A. Himachal Government Judicial Paper

विक्रय पत्र मूल्य सम्पत्ति	अस्टाम्प संख्या
1500.00	120.00 3

मैं जैला पुत्र श्री गोपो पुत्र सुरवा आयु 60 वर्ष ग्राम कालरून प्र० हाबार तहसील भटियात जिला चम्बा का रहने वाला हूँ।

मैं खेवट खतौनी खतौनी नं० 41/58 किता ।। रकबा तादादी आठ बीघा पन्द्रह बिस्वे वाक्या 8-15 मौजा कालरून प्र० हाबार का मालिक काबिज हूँ कागजात माल हूँ। नकल जमाबन्दी व औसत पांच साला शामिल विक्रय पत्र है।

मैं उक्त रकबा में से खसरा नं० 129/1 रकबा तादादी एक बीघा अठारह बिस्वे 1-18 को मु० 1500.00 एक हजार पांच सौ रुपये में श्री जगत सिंह पुत्र स्खालो ग्राम कालरून प्र० हाबार तहसील भटियात जिला चम्बा को पूर्ण रूप से विक्रय कर देता हूँ।

विक्रय धन राशि मु० 1500.00 एक हजार पांच सौ रुपये उप पंजीयक महोदय के समक्ष विक्रय पत्र पंजी किया के समक्ष प्राप्त

...पुर, (उप पंजीयक) ... पंजीयक

पेश कुनिन्दा

(1) [illegible]

गवाह शनाख्त

(1) किशन चंद

(2) [illegible]

[illegible] —— नामा नामा 1500/- बजरिया नामा 120/-.20

पर लिखित दिनांक 18/9/90

उप पंजीयक
[illegible]

—— नामा हुआ आज दिनांक 18/9/90 1911-12
अनुसार [illegible] प्रविष्टे मास आश्विद सम्वत्
बार मंगलवार समय 2. बजे दिन श्री जलो पुत्र [illegible]
ने स्वयं उपस्थित होकर पंजीकरण हेतु कार्यालय गांव [illegible] तहसील [illegible] जिला
उप पंजीयक [illegible] स्थान [illegible] व पेश किया —— [illegible]!

उप पंजीयक
[illegible]

उपरोक्त [illegible] —— नामा हुआ श्री जलो पुत्र [illegible]
को शब्द-प्रति शब्द पढ़कर सुनाया व समझाया गया।
जिसे सुन कर व समझ कर पेश कुनिन्दा ने उसे सही
व दुरुस्त [illegible] व तस्दीक [illegible]
—— नामा हुआ से [illegible]
राशि 1500/- [illegible] [illegible] पुत्र [illegible]
[illegible] प्राप्त किये!

(1) किशन चंद पुत्र [illegible] (2) [illegible] सिंह [illegible] [illegible]
[illegible] को [illegible] ने शनाख्त किया
जिसे हम स्वयं जानते हैं अतः [illegible] तस्दीक
किया जाता है एवं रजिस्टर होवे

उप पंजीयक
[illegible]

605213 A. Himachal Government Judicial Paper

कर दी तसल्ली किया है। अब उक्त रकबा का मालिक व काबिज क्रेता ही होगा रकबा का कब्जा क्रेता को दे दिया गया है। रकबा में जो उचित आवश्यक आम रास्ता पानी आदि सुविधा प्राप्त हैं वही क्रेता को प्राप्त होंगी अतः विक्रय पत्र मैं अपनी उचित जानकारी से साक्षियों के समक्ष लिखवा देता हूं। ता कि सनद रहे। दिनांक 18/9/80

पहचानकर्ता श्री किशन चन्द चौकीदार राजगढ़ — हस्ताक्षर जैला विक्रेता उक्त — साक्षी श्री आत्मसिंह नम्बरदार हल्का कुफरी

[illegible]

Jaldoh

130 ... 18/9/80

उपरोक्त विक्रय पत्र मैंने अपनी उचित जानकारी से तहरीर करवाया है। इस में मेरा कोई व्यान किसी किसम का लेना नहीं है

हस्ताक्षर
जैला विक्रेता उक्त

Jaldoh

प्रमाणित किया जाता है कि [illegible] ने व [illegible]

ने अपने अपने निशान अंगूठा व हस्ताक्षर हमारे समक्ष अंकित किए है

[signature]

[illegible] सब रजिस्ट्रार, (उप [illegible])

[illegible]

Registered as No. [illegible] in Book I

Volume 25 on page (or pages) 77-78

On 18th day of September 1990.

[signature]

[illegible] सब रजिस्ट्रार, (उप [illegible])

[illegible]